न्यायालय, सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी, जैतारण (जिला–पाली) राज0

पीठासीन अधिकारी : श्री डॉ. भास्कर बिश्नोई, आर0ए0एस0
राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या : 799/2017
GCMS NO. : 2017/00226

–:: प्रार्थी ::– **बनाम** **–:: अप्रार्थीगण ::–**

1. ताराचंद पुत्र मदनलाल
2. मनोज पुत्र अमरचंद जाति– जैन, निवासी ग्राम निमाज, तहसील– जैतारण, जिला– पाली, राज0।

1. हापु पुत्र धुला फौत के का.मु
   1.1 पोकर पुत्र हापु
   1.2 राना पुत्र हापु
   1.3 भैरा पुत्र हापु
   1.4 सीता पुत्री हापु
   1.5 सुगनाई पत्नी हापु
2. नारायण पुत्र पुका
3. किन्या पुत्र पुका
4. पुष्पा पुत्र पुका
5. मूली पत्नी घेवर
6. रिदा पुत्र घेवर
7. चन्द्रा पुत्र धूला
8. मांगु पुत्र धूला फौत के का.मु.
   8.1 कालु पुत्र मांगु
   8.2 कैलाश पुत्र मांगु
   8.3 इन्द्रा पुत्री मांगु
   8.4 सुन्दरी पुत्री मांगु
9. नौरतमल पुत्र बचनाराम
10. मांगीलाल पुत्र लाबुराम
11. सोहनलाल पुत्र लाबुराम
12. चम्पालाल पुत्र लाबुराम
13. कैली पत्नी लाबुराम
14. बाबुलाल पुत्र भीयाराम सभी जातियान कुम्हार(कुमावत) निवासी निमाज बेरा भादवा तहसील जैतारण जिला पाली।
15. श्रीमान सक्षम प्राधिकारी भूमि अवाप्ति एवं उपखण्ड अधिकारी जैतारण पाली।
16. तहसीलदार जैतारण, भूमिधारी राजस्थान सरकार।

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.10.07 13:23:54 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा **अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955** **तारीख रजू: 05/06/2017**

उपस्थितः. 1. श्री महेन्द्र प्रजापत जैतारण, अधिवक्ता, प्रार्थी।
2. श्री रामस्वरूप चौधरी, अधिवक्ता, अप्रार्थीगण।

पदेन सहायक कलक्टर,
जैतारण, जिला-पाली

दिनांकः 21/06/2022

–॥ निर्णय ॥–

वकील मय प्रार्थी ने एक प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955, के तहत् इस आशय का पेश किया कि सरहद मौजा समौखी पटवार हल्का मोहराई तहसील जैतारण जिला पाली राज मे खसरा नम्बर 83 रकबा 16–15 बीघा किस्म चाही दोयम की भूमि आई हुई है तथा नजरी नक्शे में वर्णितानुसार सायलान् एवं गैरसायलान् अपने अपने हिस्से माफिक काबिज एवं काश्त करते है तथा मौके पर तारबन्दी, पाला, मांठे की हुई है तथा उसी अनुसार पक्षकारान् अपने अपने हिस्से की भूमि का उपयोग उपभोग करते है। उपरोक्त खसरा नम्बरान की सम्पूर्ण भूमि का 1/4 हिस्सा सायलान् ने जरिये बेचान रजिस्ट्री दिनांक 18/10/2007 को श्रीमति सायरकंवर पत्नी भूरसिंह जी जाति राजपुरोहित निवासी करमावास तहसील रायपुर जिला पाली राज से खरीद की। तब से लेकर आज दिन तक सायलान् उक्त भूमि पर बिना रोकटोक शांतिपूर्ण काबिज होकर काश्त करते है तथा राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी मे सायलान् का नाम बतौर खातेदार दर्ज हो गया है तथा सायलान् द्वारा उक्त खरीद सुदा भूमि के बेचान रजिस्ट्री के अनुसार निम्न पडौस है– पूर्व में– बाबु कुमावत का खेत, पश्चिम में – रास्ता, उत्तर में – नौरत जी का खेत, दक्षिण मे – निमाज से बर जाने वाली डामर सड़क है। इन पडौसो के बीच सायलान् की कृषि भूमि स्थित है। उक्त खसरा नम्बर की भूमि का पक्षकारान् करीब 50 वर्ष से मनागना बंटवाड़ा करके एवं अपने हिस्से अनुसार काबिज होकर काश्त करते है। परन्तु राजस्व रेकर्ड नक्शा लट्ठा मे खसरा नम्बर 83 का एक चक है तथा उसमे पक्षकारान् के हिस्से अलग अलग तरमीम नही है इसलिए पक्षकारान् अपनी भूमि का बंटवाडा बाई मिटस एण्ड बाउण्डस् के करवाना चाहते है तथा अपने हिस्से को नक्शा लट्ठा मे पृथक से इन्द्राज करवाना चाहते है ताकि मौके पर पक्षकारान् में कोई विवाद पैदा न हो। उपरोक्त खसरा नम्बर 83 रकबा 16–15 बीघा भूमि के दक्षिणी तरफ डामर सडक एन एच 112 निमाज से बर पुरानी डामर सडक स्थित है तथा सायलान् इस सड़क के उत्तरी दिशा में काबिज है तथा सायलान् के पीछे उत्तरी दिशा में भी इसी खसरा नम्बर 83 की भूमि स्थित है जिसमे गैरसायलान् काबिज है। राजस्थान सरकार के आदेश क्रमांक/एनएच/112/भूमि अवाप्ति/2016/ के तहत उपरोक्त खसरा नम्बर 83 के दक्षिणी तरफ आई हुई डामर सडक एन एच 112 निमाज–समौखी बर को राज्य सरकार द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग हेतु फोरलेन में तब्दील करने हेतु इस 1 खसरा की भूमि का कुछ हिस्सा अवाप्त किया गया है परन्तु मौके पर सायलान् एवं गैरसायलान् के हिस्से की भूमि में से भी अवाप्त की गई है परन्तु उसमे सायलान् की भूमि का हिस्सा गैरसायलान् की भूमि के हिस्से से अधिक भूमि अवाप्त हुई है जिससे नजरी नक्शे में मटीया रंग से दर्शित की हुई है परन्तु उक्त खसरा नम्बर 83 का रकबा 16–15 बीघा का बड़ा होने के कारण एवं पक्षकारान् के हिस्से नक्शा लट्ठा मे इन्द्राज नही होने के कारण सायलान् के हिस्से की अवाप्त सुदा भूमि की मुआवजा राशि राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी में वर्णित सभी खातेदार के नाम प्रतिवादी संख्या 15 श्रीमान् सक्षम प्राधिकारी (भूमि अवाप्ति) [उपख]ण्ड अधिकारी जी जैतारण के कार्यालय में बराबर मात्रा में राशि [...] मौके पर गैरसायलान की भूमि कम व सायलान की भूमि अधिक अवाप्त की गयी है इसलिए सायलान को गैरसायलान् से भूमि अवाप्ति की राशि अधिक मिलनी चाहिए। इस हेतु पटवारी/आर आई से मौके पर अवाप्त सुदा भूमि की पेमाईश करवाई जाना न्यायतन आवश्यक है ताकि सायलान् एवं गैरसायलान् की अवाप्त सुदा भूमि के अनुपात मे अवाप्त राशि का भुगतान

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.10.07 13:23:54 IST
Reason: SelfAttested

सायलान् को किया जा सके और यदि बिना कानूनन बंटवाड़ा करवाये व नक्शा लट्ठा में सायलान् अपने हिस्से तरमीम करवाये बगैर गैरसायलान् को अवाप्त सुदा भूमि की राशि प्रदान कर दी गयी तथा सायलान की भूमि अवाप्ती की राशि गैरसायलान् के द्वारा प्राप्त कर ली गयी तो सायलान् को असीम हानि होगी जिसकी क्षतिपूर्ति रूपयो मे नही आंकी जा सकेगी इसलिए उक्त भूमि का बाई मिटस एण्ड बाउण्डस् बंटवाडा करवाकर एवं सायलान् का हिस्सा नक्शा लट्ठा मे तरमीम करवाने तक भूमि अवाप्ति की राशि गैरसायलान् को देने से जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा के रोकावे व गैरसायलान् को भुगतान की जा रही भूमि अवाप्ति की अधिक राशि को सही अनुपात मे बंटवाडा कर सायलान् को दिलायी जावे इस हेतु पटवारी/आर आई द्वारा भूमि अवाप्त बाबत् मौके पर पेमाईश कर मौका रिपोर्ट तलब फरमायी जाना न्यायतन आवश्यक है। सायलान् की हिस्से की अवाप्त सुदा भूमि की राशि का नोटिस गैरसायलान् को मिलने पर दिनांक 10/05/2017 को गैरसायलान् द्वारा सायलान् को यह ऐलानिया धमकी दी कि हम तुम्हारे हिस्से की भूमि जो अवाप्त की जा रही है उसकी राशि भी हम (गैरसायलान्) प्राप्त करके ही रहेगें। यदि गैरसायलान् ने सायलान् की भूमि अवाप्ति राशि का भुगतान बदनियती एवं धोखे से प्राप्त कर लिया तो सायलान् को असीम हानि होगी जिसकी क्षतिपूर्ति रूपयो मे नही आंकी जा सकेगी इसलिए यह प्रार्थनापत्र अस्थाई निषेधाज्ञा एवं दावा बंटवाडा, स्थाई निषेधाज्ञा(मेण्डेटरी एवं प्रोहिबिटरी) व भूमि अवाप्ति राशि सायलान् को सही अनुपात में दिलाने एवं गैरसायलान् के नाम से गलत बनी भूमि अवाप्ति की अधिक राशि का चैक वादपत्र के अंतिम निस्तारण तक जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा के रूकवाने हेतु प्रार्थनापत्र श्रीमानजी की सेवा मे पेश है। तथ्यो, परिस्थितियो तथा दस्तावेजात एवं मौके पर कब्जा उपयोग उपभोग से प्रथम दृष्टिया मामला व सुविधा का सन्तुलन एवं मौके पर अवाप्त की जा रही भूमि की वर्तमान स्थिति अनुसार हर दृष्टिकोण से सायलान् के पक्ष में साबित है यदि गैरसायलान् सायलान् के हक हिस्से की भूमि जो फोरलेन सडक मे अवाप्त की जा रही है उसकी मुआवजा राशि का चैक गैरसायलान् प्राप्त कर लेते है तो सायलान् को अपूर्णिय क्षति होगी जिसकी क्षतिपूर्ति किसी कदर संभव नहीं होगी व मौके पर वाद विवाद होगा जिससे मल्टी प्लीसिटी ऑफ प्रोसिडिंग्स् बढेगी एवं सायलान् अपने जायज हक हकूको एवं अधिकारो से महरूम हो जायेगे। इसलिए मौकें पर पटवारी आर आई को मौका कमिश्नर नियुक्त कर मौका की वर्तमान भूमि अवाप्ति की स्थिति की मौका रिपोर्ट मंगवायी जाने की कृपा करावे। शूल्क नियमानुसार सायलान् अदा करने को तैयार है इस कारण से गैरसायलान् द्वारा किये जा रहे अवैधानिक कृत्यों को रोके जाने हेतु यह प्रार्थनापत्र अस्थाई निषेधाज्ञा सायलान् की और से विरूद्ध गैरसायलान् के श्रीमान् के समक्ष पेश है ।

इस पर प्रार्थना–पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर गैरसायलान् को जरिये नोटिस तलब किया गया। गैरसायल संख्या 1/1, 1/3 से 1/5, 2 से 6, 8/1 से 8/4 तथा 9 से 14 को बार बार आवाजे दिलाई गई बावजूद [illegible] सूचना के अनुपस्थित रहने से इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की जाती है। गैरसायल संख्या 7 द्वारा वकालतनामा पेश हुआ जो सा0मि0 है। गैरसायल संख्या 7 [illegible] जवाब प्रार्थना–पत्र पेश करने हेतू अनेकानेक अवसर दिए जाने के बावजूद भी पेश नही करने से जवाब प्रार्थना पत्र बंद किया जाता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.10.07 13:23:54 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर,
जैतारण, जिला–पाली

बहस वकुलाय राजस्व प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा अर्न्तगत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 पर सुनी गई। पत्रावली मय दस्तावेजात, गहनता से अवलोकन किया गया। पत्रावाली पर उपलब्ध दस्तावेजात के अवलोकन व विधिक प्रास्थिति के आधार पर प्रकरण का बिंदूवार विवेचन एवं निर्णयन् निम्नानुसार है:-

(01) प्रथम दृष्ट्या मामला :- प्रार्थीगण के प्रार्थना-पत्र के अवलोकन से यह जाहिर है कि प्रार्थीगण द्वारा अपनी खातेदारी भूमि का कानूनन बाई मिट्स एवं बाउण्डस् बंट्वाड़ा का वाद प्रस्तुत किया है तथा ताफैसला वाद अस्थाई निषेधाज्ञा की मांग की है। वादग्रस्त आराजी की जमाबंदी के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि ग्राम समौखी में स्थित वादग्रस्त आराजी खसरा संख्या 83 रकबा 16-15 बीघा प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण की अविभाजित सहखातेदारी आराजी है तथा प्रार्थी जरिए पंजीकृत विक्रय पत्र से बतौर सहखातेदार दर्ज हुआ है। प्रार्थी द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग प्रयोजनार्थ अवाप्ताधीन भूमि का मुआवजा मौके पर कब्जे के आधार पर स्वयं को देने का अनुरोध करते हुए अप्रार्थीगण नही देने का निवेदन किया है। लेकिन ऐसा कोई आदेश पारित करना न्यायालय हाजा के क्षैत्राधिकार से परे है। साथ ही चूंकि वादग्रस्त आराजी में अप्रार्थीगण भी अभिलिखित सहखातेदार है अतः प्रथम दृष्ट्या मामला केवल प्रार्थी के पक्ष मे निहित होना प्रार्थी साबित करने में असफल रहा है। अतः यह बिन्दू प्रार्थी के विरूद्ध निर्णित किया जाता है।

(02) सुविधा का संतुलन व (03) अपूर्णनीय क्षति :- प्रथम दृष्ट्यां मामला प्रार्थी के विरुद्ध साबित हो चुका है साथ ही प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण वादग्रस्त आराजी के सहखातेदार है तथा प्रत्येक सहखातेदार का अपने हक हिस्से तक अविभाजित आराजी के प्रत्येक भाग पर कब्जा काश्त एवं उपयोग उपभोग माना जाना स्वीकृत तथ्य है। अतः सुविधा का संतुलन मात्र प्रार्थी के पक्ष में ही निहित होना साबित नही होता है साथ ही सहखातेदार होने के बावजूद केवल अप्रार्थीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द करना उनके लिए अपूर्णीय क्षति का कारण बन सकता है। अतः उपर्युक्त दोनो बिन्दू भली भांति साबित नही होने से प्रार्थी के विरूद्ध निर्णित किए जाते है।

अतः उपर्युक्त बिंदूवार विवेचन के आधार पर हमारा यह विनम्र अभिमत है कि प्रार्थीगण प्रार्थना-पत्र साबित करनें में पूर्णतया विफल रहे हैं, अतः प्रार्थना-पत्र अस्वीकार किया जाना पूर्णतया विधि सम्मत् एवं उचित रहेगा।

-: आदेश :-

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में प्रार्थना-पत्र प्रार्थीगण/वादीगण अंतर्गत धारा 212, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 बाबत् अस्थाई निषेधाज्ञा भली-भाँति साबित न होनें एवं सारहीन होनें से अस्वीकार/खारिज किया जाता है। पत्रावली इसी निमित निर्णित होकर संख्या से एक कम होकर दाखिल दफ़्तर हो।

सहायक कलेक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी जैतारण
उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर (जिला-पाली) पाली

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.10.07 13:23:54 IST
Reason: SelfAttested

निर्णय आज दिनॉक 21/06/2022 को खुले इजलास सुनाया गया।

सहायक कलेक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी जैतारण
उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर (जिला-पाली) पाली